

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602851

ग्राम क्रमांक : 115192      ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर, मुरादाबाद      तहसील : मुरादाबाद      जनपद : मुरादाबाद      फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)      भाग : 1      (1) खाता संख्या : 00386

श्रेणी : 6-2 अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
648	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	1) अन्य / 1129/233 / 17-11-2025 / पुनर्ग्रहण		648(1151920648000062)	0.0120	1) -	1) 0.0120	0.00
							0.0120	

कुल गाटे - 1      कुल क्षेत्रफल - 0.0120 (हेक्टेयर)      कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0120) (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)	
1) अन्य / 1129/233 / 17-11-2025 / पुनर्ग्रहण / RAM SINGH RAWAT / 10-02-2026	1.1) चकरोड / --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	648(1151920648000062)	1.1) 0.0120	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	648(1151920648000062)	1.1) 0.0120	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) वंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :



1) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 2017135415011303 धारा 101 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 25-05-17 के अन्तर्गत श्रीमती माधवी मल्होत्रा बनाम ग्राम सभा मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद मे स्थित भूमि खाता सं 347 गाटा सं 511 रकवा 0.259 है 0 मे से 0.114 है 0 से वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व 0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम खारिज करके सम्पत्ति ग्राम सभा -नवीन परती- दर्ज हो तथा खाता सं 380 के गाटा सं 530 रकवा 0.320 है मे से 0.025 है व गाटा सं 531 रकवा 0.0200 है व गाटा सं 568 रकवा 0.0240 है व खाता सं 383 के गाटा सं 564 रकवा 0.0450 है पर से सम्पत्ति ग्राम सभा खारिज होकर वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व 0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स , मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज हो हआरके 01-07-17

2) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 2017135415011303 धारा 101 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 14.7.17 के अन्तर्गत श्रीमती माधवी मल्होत्रा बनाम ग्राम सभा मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद मे स्थित भूमि खाता सं 347 गाटा सं 511 रकवा 0.259 है 0 मे से 0.114 है 0 से वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व 0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम खारिज करके सम्पत्ति ग्राम सभा -नवीन परती- दर्ज हो तथा खाता सं 380 के गाटा सं 530 रकवा 0.320 है मे से 0.025 है व गाटा सं 531 रकवा 0.0200 है व गाटा सं 568 रकवा 0.0240 है व खाता सं 383 के गाटा सं 564 रकवा 0.0450 है पर से सम्पत्ति ग्राम सभा खारिज होकर वादनी श्रीमती माधवी मल्होत्रा पत्नी स्व 0 अशोक मल्होत्रा निवासी सिविल लाईन्स , मुरादाबाद मैनेजिंग डायरेक्टर हिन्द निहोन प्रोटीन्स प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज किये जाने के पूर्व पारित आदेश दिनांक 25.5.2017 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है हआरके 0दि 21.7.17

Data Digitally Signed by: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)  
दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 02:34:58 तहसील : मुरादाबाद

यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 02:34:58

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरीफिकेशन  
<https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।



84

प्राप्ति सं०: 1822/अधिष्ठा  
प्राप्ति दि० 06-11-2025मानक आकार पत्र-1  
पुनर्ग्रहण आदेश

संख्या-233/आठ-03/2025-26/रा0सहा0-1

दिनांक: 03-11-2025

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 व पश्चात्वर्ती निर्गत समविषयक शासनादेश सं०-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथासंशोधित की, धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 एवं शासनादेश सं०-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 तथा शासकीय अधिसूचना सं०-688/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं आञ्जनेय कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेकर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के पक्ष में पुनर्ग्रहीत कर सःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद पुनर्ग्रहण के लिये प्रस्तावित ग्राम-सोनकपुर तहसील मुरादाबाद स्थित ग्रामसमाज की भूमि का चार गुना (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) मूल्य, ग्राम सोनकपुर की जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के आधार पर रूपये 2,26,00,000/- प्रति है 0 X 0.3920 X 4 = 3,54,36,800/- आगणित मूल्य एवं वार्षिक किराया जिलाधिकारी, मुरादाबाद के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित किये गये विवरण के अनुसार ग्राम-सोनकपुर की माल गुजारी शून्य दर्शायी गयी है। (पुनर्ग्रहण प्रस्ताव में की गयी गणनानुसार) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद से राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा करायेंगे तथा जमा की रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये। इसके उपरान्त ही राजस्व अभिलेखों में आदेश का इन्दाज किया जाये।

## अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सोनकपुर	631 633 643 648 655 666 668 687 694 696	0.1250 है० 0.0080 है० 0.0120 है० 0.0120 है० 0.0730 है० 0.0080 है० 0.0890 है० 0.0040 है० 0.0490 है० 0.0120 है०	श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड श्रेणी-6-2 चकरोड	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु
					कुल 10 किता	कुल रकबा 0.3290 है०		

उपरोक्त आदेश द्वारा परगना-सदर तहसील व जिला-मुरादाबाद की ग्राम पंचायत सोनकपुर में अनुसूची के स्तम्भ-6 एवं 7 में उल्लिखित गाटा/क्षेत्रफल में "मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की सोनकपुर आवासीय योजना हेतु" आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निवर्तन पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत की जा रही है, उपरोक्त भूमि का, उपलब्ध कराये जाने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2015 द्वारा यथासंशोधित, की धारा-59 अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट प्रबन्धन और नियंत्रण अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ का होगा।

आज्ञा से.


(आञ्जनेय कुमार सिंह)  
मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।

कार्यालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-5, लखनऊ।
- 4- जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
- 5- उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
- 8- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, सदर जनपद-मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश में निर्धारित समस्त धनराशि जमा होने के उपरान्त ही आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद कराकर उद्घरण खतौनी की 03 प्रमाणित प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित विभाग को कब्जा हस्तगत करायें।
- 9- प्रधान, ग्राम पंचायत, सोनकपुर, वि०खं० एवं जनपद-मुरादाबाद।

  
मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।